UPUN010034362026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–3, उन्नाव।

पीठासीन अधिकारी– प्रेम प्रकाश, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06506

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1442/2026

दिलावर सिंह उर्फ गोला पुत्र बलवीर निवासी म0नं0–1748 मुस्तफाबाद थाना सदर अमृतसर राज्य पंजाब। .....**प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

सरकार उ0प्र0 द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, उन्नाव।.....**विपक्षी**

अपराध सं0–293/2026
धारा–309(6), 351(3), 317(2), 111
बी0एन0एस0 व धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट
थाना–कोतवाली सदर, जिला–उन्नाव।

दिनांक–10.06.2026

1– प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त दिलावर सिंह उर्फ गोला की ओर से मुकदमा अपराध सं0–293/2026, अन्तर्गत धारा–309(6), 351(3), 317(2), 111 बी0एन0एस0 व धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली सदर, जिला उन्नाव के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया, जिस पर सुनवाई की गई। आवेदक/अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ मजिस्ट्रेट न्यायालय का अभियुक्त का जमानत खारिजा आदेश सलंग्न है।

2– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में यह तथ्य उल्लिखित है कि, प्रार्थी निर्दोष है मुकदमा हाजा में फर्जी फसाया गया है। प्रार्थी ने किसी प्रकार की कोई लूट नही की है और न ही प्रार्थी के पास से कोई लूट का सामान बरामद हुआ है और प्रार्थी के पास से कोई असलहा बरामद नही हुआ है। प्रार्थी पूर्ण रूप से निर्दोष है। प्रार्थी दिनांक 22.05.2026 को जिला कारागार उन्नाव मे निरूद्ध हुआ था। प्रार्थी के खिलाफ जो भी धारा दिखायी गयी है वह सब फर्जी है। प्रार्थी के पास से आर्म्स एक्ट का कोई सामान नही बरामद हुआ है प्रार्थी को पकड़कर फर्जी अपराध में संलिप्त किया गया है। FIR अज्ञात में दर्ज है। प्रार्थी ने किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी नही दी है और न ही किसी को चोट पहुँचाई है प्रार्थी के पास से कोई चोरी का सामान बरामद नही हुआ है। प्रार्थी का कोई अपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थना पत्र में ज्वैलर्स की दुकान मे लूट दिखाई गयी है जबकि प्रार्थी ने किसी भी प्रकार की कोई लूट नही किया है। प्रार्थी पूर्णरूप से निर्दोष है प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नही किया है। जो भी अपराध दिखाया गया है वह सब बनावटी व फर्जी है। प्रार्थी ने संगठित होकर अपराध कारित नहीं किया है और न ही गैर कानूनी कृत्य में शामिल है। प्रार्थी दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा होने के बाद न तो कही भागेगा और न ही गवाहान सबूतो पर बेजा असर डालेगा। प्रार्थी ने

इससे पूर्व न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में न तो दिया गया है न खारिज हुआ है न विचाराधीन है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाये।

3— थाना कोतवाली सदर उन्नाव से इस आशय की आख्या प्राप्त है कि याची अभियुक्त द्वारा घटना कारित किया गया है जो सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है। याची अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है जिसकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। याची अभियुक्त के ऊपर जो धाराएं लगी है, सही लगी हैं। एफ0आई0आर0 अज्ञात में दर्ज है। याची अभियुक्त के कब्जे से लूट का सामान बरामद हुआ है तथा ज्वेलरी शॉप में घुसकर मारपीट करना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास सीसीटीएनएस की रिपोर्ट सलंग्न है। अभियुक्त द्वारा एक गैंग बनाकर कई लूट की घटनाएं कारित की गई हैं। याची अभियुक्त तथा उसके साथियों द्वारा एक संगठित गिरोह तैयार करके अपराध किया जा रहा है उसी के क्रम में पंजाब से आकर के यहॉ पर लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। जमानत का घोर विरोध है।

4— अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, दिनांक 20.05.26 को समय लगभग 1.30 बजे दोपहर प्रार्थी अपने सराफे की दुकान चंदेलिया जय कृष्णा ज्वैलर्स इण्टर प्राइजेज स्थिति भौनीखेड़ा चौराहा थाना कोतवाली सदर उन्नाव में रोजाना की तरह बैठा था तभी अचानक दो मोटर साइकिल से चार व्यक्ति नाम पता नामालूम जिसमें एक व्यक्ति टोपी पहने था। तीन लोग सिर पर रूमाल बांधे थे। मेरी दुकान में घुसकर चारों ने एक ब्रेसलेट चांदी का बेचने की बात कही। तब उसमें से एक पिस्टल निकाल कर मेरे सिर पर लगा दी, कहा, हम यहां लूटने आये है। दुकान की चाभी तो तिजोली खोलो फटाफट वरना गोली मार दूंगा फिर मेरे विरोध करने पर उक्त चारों ने मिलकर मुझे मारना पीटना चालू कर दिया। उसमें से एक व्यक्ति ने लोहे के सूजे से मेरी पीठ पर वार किया सीने पर वार जान से मार डालने की नियत से किया फिर मुझे जमीन पर धक्का मारकर गिरा दिया मेरे मुंह पर पैर रख दिया लात घूसों से खूब मारा मेरे काउण्टर में रखा रू0 10,000/—रू० दस हजार नकद व चांदी का पायल विछिया व गिलास, चम्मच चार छोटी मूर्तिया जिनका कुल वजन लगभग 240 ग्राम व आर्टीफिशियल ज्वेलरी को जबरन उठा ले गये। जाते वक्त उक्त सभी व्यक्तियों ने धमकी दी कि चिल्लाना मत मेडिकल न कराना व पुलिस को सूचना न देना वरना जान से मार देंगे, प्रार्थी काफी भयभीत व हैरान हो गया उनके जाने पर पड़ोस के अश्वनी पुत्र सुरेश कुमार को बुलाया जानकारी दी जिन्होने बदमाशो को जाते हुए देखा। अतः प्रार्थी की रिपोर्ट लिखकर बदमाशों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

5— विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा दिन दहाड़े कारित लूट का अपराध गम्भीर प्रकृति का है। दिन दहाड़े दुस्साहसिक तरीके से जनपद उन्नाव में ज्वेलरी की दुकान में हुई उक्त लूट पाट की घटना जनपद की कानून व्यवस्था व जनसामान्य की सुरक्षा पर व्यापक प्रभाव डालने वाला है। जमानत का प्रबल विरोध है।

6– जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा सलंग्न प्रपत्रों तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

7– अभियोजन के अनुसार अभियुक्त पंजाब से आकर यहॉ के अन्य स्थानीय सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी सुशील कुमार के सराफे की दुकान चन्देलिया जयकृष्णा ज्वैलर्स इण्टर प्राइजेज भौनीखेड़ा चौराहा थाना कोतवाली सदर उन्नाव में दो मोटर साइकिल से कुल चार लोग आकर (जिसमें तीन लोग सर पर रूमाल बांधे थे व एक टोपी पहने था।) दिनांक 20.05.2026 को दिन दहाड़े पिस्टल तान कर दुकान की तिजोरी खोल कर, काउण्टर में रखा 10,000/–रू0, चांदी का पायल, बिछिया, गिलास, चम्मच, चार छोटी मूर्तियॉ व आर्टीफिशियल ज्वेलरी जबरन लूट ले जाने व वादी द्वारा विरोध करने पर सभी चारों लोगों द्वारा मिलकर लोहे से वादी पर प्रहार करना व जान से मारने की धमकी आदि का आरोप है। उक्त लूट की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जिसके आधार आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। अभियोजन के अनुसार अभियुक्त द्वारा पंजाब से आकर एक गैंग बनाकर जनपद उन्नाव में कई लूट की घटनायें कारित की गयी हैं। अभियोजन के अनुसार लूट की घटना में वादी को अभियुक्तगण द्वारा चोटें भी पहुंचाई गई हैं। आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से लूट के सामान की बरामदगी हुई है। जनपद उन्नाव में दिन दहाड़े उक्त ज्वेलरी शॉप में हुई लूट की घटना जनपद की कानून व्यवस्था व जनसामान्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाला है। अतः अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों व अपराध की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने के आधार पर्याप्त नहीं है। **अभियुक्त दिलावर सिंह उर्फ गोला** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त दिलावर सिंह उर्फ गोला द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र सं0–1442/2026 मुकदमा अपराध सं0–293/2026, अन्तर्गत धारा–309(6), 351(3), 317(2), 111 बी0एन0एस0 व धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली सदर, जिला उन्नाव के प्रकरण में निरस्त किया जाता है।

दिनांक–10.06.2026

(प्रेम प्रकाश)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 3,
उन्नाव।